रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2012/ भाद्र 6, 1934
No. 181] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2012/BHADRA 6, 1934

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2012

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) चौथा संशोधन विनियम, 2012

सं. भाराराप्रा/11011/17/2012-एच.आर. I (खण्ड VI).— भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ** :- (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) चौथा संशोधन विनियम, 2012 कहलाएंगे ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे और नीचे पैरा 4 में इसके साथ संलग्न अनुसूचियों के कॉलम 4 में निर्धारित वेतनमान, समय-समय पर यथासंशोधित, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (संशोधित वेतन) नियम, 2008 में निर्धारित तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) के विनियम 11 में, उप विनियम (3) के खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-

"(ग) उप प्रबंधक (तकनीकी) और प्रबंधक (तकनीकी) के ग्रेड में समूह 'क' तकनीकी पदों के लिए चयन समिति में अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले तीन अधिकारी होंगे (जो मुख्य महाप्रबंधक के रैंक से नीचे के नहीं होंगे) ।

(घ) उप महाप्रबंधक (तकनीकी) के ग्रेड में समूह 'क' तकनीकी पद के लिए चयन समिति में अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले एक सदस्य (तकनीकी/परियोजना) और तीन मुख्य महाप्रबंधक होंगे ।

(ङ) महाप्रबंधक के ग्रेड में समूह 'क' पद के लिए चयन समिति में अध्यक्ष और अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाने वाले दो सदस्य होंगे ।

परन्तु शर्त यह है कि यदि उपर्युक्त खण्ड (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) के अधीन गठित प्रत्येक चयन समिति में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई सदस्य नहीं है तो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उपयुक्त रैंक के एक समूह 'क' अधिकारी को भी चयन समिति में शामिल किया जाएगा ।"

3. **शुद्धिपत्र** - भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) दूसरा संशोधन विनियम, 2012 से संबंधित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की अधिसूचना सं. एनएचएआई/11011/17/2012-एचआर । (खण्ड I), जो 24 जुलाई, 2012 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खण्ड 4 में प्रकाशित की गई थी (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना संदर्भित किया गया है) के पैरा 2 में, "विनियम 11" शब्द और अंक को "विनियम 12" पढ़ा जाए ।

4. मूल विनियमों की अनुसूची में, निम्नलिखित पद के लिए पात्रता के मानदण्ड और अर्हताएं निर्धारित करने वाली अनुसूचियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"आशुलिपिक ग्रेड 'घ'
स्टाफ कार चालक"

राजीव यादव, सदस्य (प्रशासन)
[विज्ञापन III/4/122/12/असा.]

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना संख्या एनएचएआई/11011/17/2012-एचआर । (खण्ड III), तारीख 24 अगस्त, 2012, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III - खण्ड 4, तारीख 24 अगस्त, 2012 में प्रकाशित किया गया था ।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

IndiaCode

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
आशुलिपिक ग्रेड 'घ'	232 (2012), कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह-ग	पीबी-1 (5200-20,200 रुपये), श्रेणी वेतन 2400 रुपये सहित	प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ संविदा/ सीधी भर्ती

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के लिए)	अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और अनुभव	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/संविदा/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
18 और 25 वर्ष के बीच	<u>अनिवार्य शैक्षिक अर्हता :-</u> (i) किसी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड/संस्थान से मैट्रिक अथवा समकक्ष ; और (ii) आशुलिपि (अंग्रेजी/ हिंदी) में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति और कम्प्यूटर पर टाइप करने की 40 शब्द प्रति मिनट की गति। <u>अनिवार्य अनुभव :</u> आशुलिपि में तीन वर्ष का अनुभव।	(1) ऐसे अभ्यर्थियों में से प्रोन्नति द्वारा जो स्टाफ कार चालक के पद पर नियमित आधार पर पाँच वर्ष की अवधि से कार्यरत हों ; <u>अथवा</u> जमादार/ चपरासी के पद पर नियमित आधार पर छह वर्ष की अवधि से कार्यरत हों ; <u>और</u> जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता हो। अथवा (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा:- (i) जो वेतन बैंड-1 (5200-20,200 रुपये) के वेतनमान और 2400/- रुपये के श्रेणी वेतन में (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) नियमित आधार पर सदृश पद पर कार्यरत हों ; अथवा (ii) जिन्होंने वेतन बैंड-1 (5200-20,200 रुपये) के वेतनमान और 1900/- रुपये के श्रेणी वेतन में (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) नियमित आधार पर पाँच वर्ष की सेवा कर ली हो ; और जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव हो। अथवा (3) ऐसे अभ्यर्थियों में से संविदा/सीधी भर्ती द्वारा जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता और अनिवार्य अनुभव हो। <u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u> तीन वर्ष से अधिक नहीं, परन्तु इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन	भर्ती का तरीका
1	2	3	4	5
स्टाफ कार चालक	05 (2012), कार्यभार के आधार पर परिवर्तन के अध्यधीन	समूह-ग	पीबी-1 (5200-20,200 रुपये), श्रेणी वेतन 1900 रुपये सहित	प्रतिनियुक्ति/ संविदा/ सीधी भर्ती

आयु सीमा (केवल सीधी भर्ती के लिए)	अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और अनुभव	प्रतिनियुक्ति/संविदा/सीधी भर्ती द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे भर्ती की जानी है
6	7	8
18 और 25 वर्ष के बीच	**अनिवार्य:-** वाहन चलाने, मोटर मेकेनिज्म में व्यावसायिक कुशलता और वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना। **वांछनीय :** मिडिल स्कूल स्टैंडर्ड पास।	(1) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ राष्ट्रीयकृत बैंकों अथवा अर्द्ध सरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्त संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। अथवा (2) ऐसे अभ्यर्थियों में से संविदा/सीधी भर्ती द्वारा जिनके पास कॉलम 7 में निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो। **प्रतिनियुक्ति की अवधि** तीन वर्ष से अधिक नहीं, परन्तु इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से बढ़ाया/घटाया जा सकेगा।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2012

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Fourth Amendment Regulations, 2012

No. NHAI/11011/17/2012-HR. I (Vol. VI).— In exercise of the powers conferred by section 35, read with section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely: -

1. **Short title and commencement:-** (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Fourth Amendment Regulations, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and the pay scales prescribed in Column 4 of the Schedules annexed hereto in para 4

below shall come into effect from the date prescribed in the Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 2008, as amended from time to time.

2. In regulation 11 of the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), after clause (b) of sub-regulation (3), the following clauses shall be inserted, namely:-

"(c) to the Group 'A' technical posts in the grades of Deputy Manager (Technical) and Manager (Technical), the Selection Committee will comprise of three officers (not below the rank of Chief General Managers) to be nominated by the Chairman.

(d) to the Group 'A' technical post in the grade of Deputy General Manager (Technical), the Selection Committee will comprise of a Member (Technical / Project) and three Chief General Managers to be nominated by the Chairman.

(e) to the Group 'A' posts in the grade of General Manager, the Selection Committee will comprise of Chairman and two Members to be nominated by the Chairman.

Provided that in each Selection Committee constituted under clauses (b), (c), (d) and (e) above, a Group-'A' officer of appropriate rank belonging to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe shall also be inducted as a Member, in case no member of the Selection Committee belongs to the Scheduled Caste or Scheduled Tribe."

3. **CORRIGENDA** – In para 2 of the National Highways Authority of India Notification No.NHAI/11011/17/2012-HR.I(Vol.I), pertaining to National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Second Amendment Regulations, 2012, published on 24th July, 2012, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III Section 4 (hereinafter referred to as the said notification), the word and figure "Regulation 11" may be read as "Regulation 12".

4. In the Schedule to the principal regulations, the Schedules prescribing eligibility criteria and qualifications for the following post shall be substituted, namely:-

"Stenographer Grade 'D'
Staff Car Driver."

RAJIV YADAV, Member (Administration)

[ADVT III/4/122/12/Exty.]

Foot Note : The principal regulations were published vide notification No.NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No.NHAI/11011/17/2012-HR.I(Vol.III), dated 24th August, 2012 and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III – Section 4, dated the 24th August, 2012.

Explanatory Memorandum

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

3223 GI/12-2

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Stenographer Grade 'D'	232 (2012), subject to variation depending on workload	Group C	PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay Rs.2400	Promotion/ Deputation / Contract / Direct Recruitment

Age limit (in respect of direct recruit only)	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by promotion/ deputation/ contract/ direct recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
Between 18 and 25 years	**Essential Educational Qualification**:- (i) Matriculation or equivalent from a recognized Board of Education/ Institute; and (ii)Minimum speed of 80 words per minute in shorthand (English/ Hindi) and 40 words per minute in typing on computer. **Essential Experience**:- Three years experience in Stenography.	(1) By promotion from candidates holding the post of Staff Car Driver on a regular basis for a period of five years; or Jamadar / Peon on a regular basis for a period of six years; and possessing the essential educational qualification stipulated in column 7. OR (2) By deputation from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings / nationalized banks or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous post in the pay scale of PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay of Rs.2400/- (in CDA pattern) on regular basis; or (ii) with five years of regular service in the post carrying the pay scale of PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay of Rs.1900/- (in CDA pattern); and possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in column 7. OR (3) By contract / direct recruitment from candidates possessing essential educational qualification and essential experience stipulated in column 7. Period of deputation Not more than three years but may be extended / curtailed with the approval of the Competent Authority.

Name of post	No. of posts	Classification of post	Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment
1	2	3	4	5
Staff Car Driver	05 (2012), subject to variation depending on workload	Group C	PB-1 (Rs.5200-20,200) with Grade Pay Rs.1900	Deputation / Contract / Direct Recruitment

Age limit (in respect of direct recruit only)	Educational qualification and experience required	In case of recruitment by deputation/ contract/ direct recruitment, the grades from which to be made
6	7	8
Between 18 and 25 years	**Essential:-** Professional skill in driving, motor mechanism and possession of valid driving license. **Desirable:-** Middle school standard pass.	(1) By deputation from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings / nationalized banks or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies possessing the educational qualifications and experience stipulated in column 7. OR (2) By contract / direct recruitment from candidates possessing educational qualification and experience stipulated in column 7. Period of deputation Not more than three years but may be extended / curtailed with the approval of the Competent Authority.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.